

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

No:- FFE-B-F002/57/2024

Dated Shimla-171002, the

01-07-2024

ORDER

Subject:- Diversion of 1.3405 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Khadkalyana to Matyari road (Kms. 0/00 to 4/00), within the jurisdiction of Mandi Forest Division, Distt. Mandi, H.P. (Online Proposal No. FP/HP/Road/8510/2014).

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला, द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 8बी/एच.पी./06/03/2020/एफ.सी. दिनांक 17/07/2021 के परिणामस्वरूप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित 1.3405 है० वन भूमि के उपयोग के लिए विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करते हैं :-

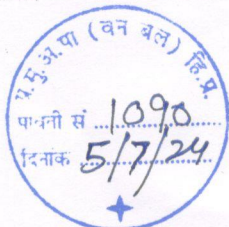
1. वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. प्रतिपूरक वनीकरण:

Conditions, stipulated by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India in above referred order at serial No. 3(क), 3(ख) and 3(ग) in final approval has been complied and intimation in this regard has been conveyed to the office of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India by the Nodal Officer-cum-APCCF(FCA), O/o Pr. CCF(HoFF), H.P. vide letter No. Ft. 48-2904/2015 (FCA) dated 15-03-2024. The details of the above compliance are as under:-

क) The DFO Mandi has given an undertaking of point No. 3(a) regarding Compensatory Afforestation upon 2.681 ha. forest land planting in DPF Dobha, Panrasa Range, Mand Forest Division, Distt. Mandi, H.P., will be got executed by planting local Swadeshi species & plantation of single species shall be avoided.

ख) The revised CA Scheme of Rs. 5,82,427/- has been sent to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India vide above referred letter dated 15-03-2024.

ग) The correct Khasra No. 535/265/761-18-6 of CA in Jangal Mahfuda germehduda has been informed to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India, Govt. of India vide above referred letter dated 15-03-2024.



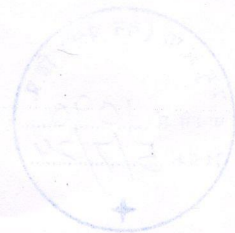
S/FCA

04/07/24
@ FOC(FCA)

APCCF(FCA)
04/07/24

Kamal
JOA (IT)
Am 4/9

4. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 47 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे।
5. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।
7. संरक्षित क्षेत्रों/ वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज तथा गति-अवरोधक लगाए जाएंगे।
8. This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on 08-02-2023 in Writ Petition(s) (Civil) No.(s) 202/1995 titled as T.N. Godavarman Thirulupad Vs. Union of India & Ors.
9. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।
10. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
11. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
13. संबंधित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
14. परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
15. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
16. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
17. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से वन विभाग की देख-रेख में ही पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।



यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/ नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य वन विभाग/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

19. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 [वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980] का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 एवं Consolidated Guidelines and Clarifications on Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and Van(Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.16 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
20. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मंत्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकता है। वन विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।

आदेशानुसार,

एम. सुधा देवी, भा0प्र0से0

सचिव (वन)

हिमाचल प्रदेश सरकार

Endst. No. As above Dated, Shimla - 171002 ^{1st} July, 2024
Copy is forwarded for information and necessary action to: -

1. The Director General of Forests (R.O.H.Q.), Ministry of Environment, Forest and Climate Change (Forest Conservation Division), Indira Paryavaran Bhavan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi - 110003.
2. The Regional Officer, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Sub-Office, Shimla (Regional Office Chandigarh), C.G.O. Complex, Shivalik Khand, Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh w.r.t. letter No. 8B/HP/06/03/2020/F.C. dated 17-07-2021.
3. The Pr. CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum-Addl. Pr. CCF(FCA) O/o HPFD HQ, Talland, Shimla-1 w.r.t. his letter No. Ft. 48-2904/2015 (FCA) dated 15-03-2024 for information & similar necessary action.
5. The CEO, H.P. State CAMPA, O/o Pr. CCF (HoFF), H.P., Shimla-1
6. The Deputy Commissioner, Mandi, Distt. Mandi, Himachal Pradesh.
7. The Ex-Engineer, HPPWD Mandi, Distt. Mandi, Himachal Pradesh.
8. The Divisional Forest Officer, Mandi Forest Division, Distt. Mandi, H.P.
9. Guard file.

Signed by Vijay Kumar

Date: 01-07-2024 13:38:43

Special Secretary (Forest) to the
Government of Himachal Pradesh